



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP02423187426161V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP02423187426161V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 11:28 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14238304/ MOHANLALGANJ/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1423830400433876885207V
Purchased by	: KANTI SEWA SANSTHAN
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: KANTI SEWA SANSTHAN
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: KANTI SEWA SANSTHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write in type below this line

ATTESTED

*[Signature]*  
01-9-23

Anandh Kumar Maurya  
Adv. & Notary  
Lucknow

Statutory Alert

1. The authenticity of the e-Stamp certificate should be verified at [www.shoreimp.com](http://www.shoreimp.com) or using e-Stamp Mobile App of State holding any device in the action on this Certificate and as per note on the certificate / Mobile App readers it should  
2. The user of tracking the authenticity on the users of the certificate  
3. In case of any discrepancy, please call on the Customer Authority

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम.....कान्ती सिंह (नाम अध्यक्ष) एवं .....नरेंद्र सिंह (नाम सचिव).....कमरा: अध्यक्ष एवं सचिव

सचिव.....(सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता).....शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -  
कान्ती सेवा संस्थान दक्षिणसूर विस्वा मंदी  
397 अड्डे की धाकिलवा 35 पान-11

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कान्ती सेवा संस्थान का निर्माण एवं पता दक्षिणसूर विस्वा मंदी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

कान्ती सेवा संस्थान  
कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम.....(पता जहां पर भूमि स्थित है) दक्षिणसूर विस्वा मंदी  
संख्या 477 एवं 478 रकबा कमरा: 0.9060  
एवं 0.9510 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.857 हेक्टेयर) भूमि है।

उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

2. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गट संख्या 477 एवं 478 रकबा कमरा 0.744 एवं 0.284 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.028 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20-08-2022 द्वारा पारित किया गया है।

3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।

4. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

5. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि य इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कारोलाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती को आई0टी0/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव  
कान्तर सिंह (HSGA)

कान्तर सिंह  
ह0 अध्यक्ष

ATTESTED

01/9/23  
Attestation  
Rajesh Kumar Singh  
Notary Public  
Lucknow